न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
अध्यक्षता – *ललित कुमार गुप्ता, आई.ए.एस.*

गुण्डा नियत्रंण अपील संख्या 03/2017

अपीलान्टस	बनाम	रेस्पोडेन्टस
युनुस उर्फ पिण्टू पुत्र बशीर अहमद, जाति मूसलमान, निवासी दर्पण सिनेमा के पीछे, स्टेडियम शॉपिंग सेन्टर, पुलिस थाना उदयमंदिर, जोधपुर।		1. राजस्थान राज्य लोक अभियोजक जरिये पुलिस उपायुक्त (पश्चिम), जोधपुर

गुण्डा नियत्रंण अपील अन्तर्गत धारा 06 गुण्डा नियत्रंण अधिनियम 1975 विरूद्ध आदेश पुलिस उपायुक्त, जोधपुर पश्चिम द्वारा फौजदारी मुकदमा संख्या 02/2017 में दिनांक 13.9.2017 को पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1- श्री सूरजमल नवीन, अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित।
2- श्री ओम प्रकाश चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांकः– 21.8.2018

प्रस्तुत गुण्डा नियत्रंण अपील प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अपीलान्ट के विरूद्ध जोधपुर कमिश्नरेट के पुलिस थाना उदयमन्दिर व सदर बाजार मे विभिन्न प्रकार के 7 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हो चुके है। जिनमे से 2 प्रकरण कमशः मुकदमा संख्या 108 दिनांक 22.2.2015 अन्तगर्गत धारा 13 आरपीजीओ चालान संख्या 68/ 9.3.2015 सजा दिनांक 13.3.2015 एवं मुकदमा संख्या 216 दिनांक 21.4.2015 अन्तगर्गत धारा 13 आरपीजीओ चालान संख्या 143/25.4..2015 सजा दिनांक 17.6..2015 राजस्थान लोक द्यूत अध्यादेश 1949 के तहत दर्ज होकर बाद अनुसन्धान चालान मे दोषी पाया गया एवं सजा हुई है।

उक्त दर्ज प्रकरणों में सजा दिये जाने पर अपीलान्ट को पुलिस आयुक्त, जोधपुर पश्चिम ने अपने आदेश दिनांक 13.9.2015 के द्वारा राज0 गुण्डा नियत्रंण अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (5) राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 के तहत गुण्डा घोषित करते हुए अपीलान्ट को 15 दिन की अवधि के लिये जोधपुर कमिश्नरेट की सीमाओं से निष्कासित कर पुलिस थाना बाडमेर के नियन्त्रण मे रखे जाने के आदेश दिये गये। उक्त

अपीलाधीन आदेश से व्यथित हो कर अपीलान्ट के द्वारा गुण्डा नियत्रंण अधिनियम के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस सुनी। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता ने निवेदन कि अपीलान्ट पर पुलिस विभाग के द्वारा यह आरोप आरोपित किया है कि अपीलान्ट के विरूद्ध 2 प्रकरणों मे 13 आरपीजीओ के तहत मुकदमा दर्ज होकर संबधित न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष ठहराये जाने के कारण अपीलान्ट आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है जो समाज के विरूद्ध है और जिससे लोक शान्ति भंग होती है, अतः उसके विरूद्ध कार्यवाही की जावे जिस पर पुलिस आयुक्त, जोधपुर पश्चिम द्वारा अपीलान्ट को गुण्डा घोषित करते हुए अपीलान्ट को जोधपुर कमिश्नरेट की सीमाओं से निष्कासित कर पुलिस थाना बाडमेर के नियन्त्रण मे रखे जाने के आदेश दिये गये जबकि अपीलान्ट को नोटिस जारी होने से पूर्व 20 माह पूर्व तक कोई भी आपराधिक प्रकरण दर्ज नही हुआ है। जबकि जोधपुर कमिश्नरेट के द्वारा अपीलान्ट के प्रकरण में पारित किया गया अपीलाधीन आदेश विधि एवं तथ्यों के आधार पर मान्य नही होने से निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि धारा 3 के तहत जारी नोटिस दिनांक के छः माह पूर्व तक अपीलान्ट के विरूद्ध कोई मुकदमा न तो दर्ज हुआ है और न ही किसी प्रकार की सजा हुई है जिसके आधार पर उन्हें गुण्डा घोषित किया जा सके। इस प्रकार बिना किसी विधिक आधारों के पारित आदेश गलत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलान्ट वर्तमान समय में टैक्सी चलाकर अपना एवं अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा है। अपीलान्ट के अच्छे प्रयास को देखते हुए अपीलान्ट के प्रति सहानुभूति रखते हुए अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावे एवं अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जावें।

राज्य पक्ष रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने लिखित प्रत्युतर पेश करते हुए यह निवेदन किया कि अपीलान्ट के विरूद्ध विभिन्न समय मे आबकारी अधिनियम के तहत जो प्रकरण तत्समय में दर्ज हुए तथा उन मामलों में माननीय न्यायालय के द्वारा सजा भी पारित की गई है। अपीलान्ट पर लगाये गये आरोपों से सिद्ध है कि अपीलान्ट एक आदतन अपराधी है जिसके विरूद्ध आबकारी अधिनियम के तहत अपराध किये है, अतः अपीलान्ट के समाज विरोधी कृत्यों को देखते हुए उसके विरूद्ध पारित किये गये अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जावे।

हमने उपस्थित दोनों पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा किये गये अभिकथनों पर मनन किया एवं प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। जिससे यह पाया गया हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को राज0 गुण्डा नियत्रंण अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) के

बिन्दू संख्या 3 का उल्लंघन किया जाना माना है। जबकि उक्त आपराधिक प्रकरण अपीलान्ट के द्वारा 20 माह से पूर्व कारित किये गये है। **राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975– "गुण्डा" परिभाषा– धारा 3 के तहत कार्यवाही के तुरन्त पूर्व अपीलार्थी ने धारा 2(ख) के तहत छः माह के भीतर कोई अपराध नही किया। प्रमाणिक तिथि वह होती है जब धारा 3 के तहत नोटिस जारी किये जाते है। ऐसे मामलों मे की गयी कार्यवाही पूर्णरूपेण अधिकारिता विहीन है और विधि की दृष्टि मे शून्य है।**

वर्तमान प्रकरण मे कोई भी आपराधिक प्रकरण धारा 3 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ होने की तिथि से पूर्व छः माह की अवधि के भीतर नही आते है। अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि वे अपीलान्ट के वर्तमान चरित्र एवं गतिविधियों की रिपोर्ट प्राप्त कर उपरोक्त उल्लेखित राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 मे दिये गये प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुए आदेश पारित करना चाहिए था, जिसका अभाव अपीलाधीन आदेश मे पाया गया है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपीलांट की अपील आंशिक रूप स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.9.2017 निरस्त कर प्रकरण उपायुक्त पुलिस (पश्चिम), जोधपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त विवेचन (Observation) के अनुसार कार्यवाही कर पुनः आदेश प्रदान करें।

निर्णय आज दिनांक 21.8.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।